# बिहार लोक सेवा आयोग 15. जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

## आवश्यक सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार एवं सरकार के विभिन्न विभागों से अलग—अलग सेवाओं / संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में 64वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन का प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया है, जिसे आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	03.08.2018 से 20.08.2018 तक
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	24.08.2018 तक
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	31.08.2018 तक

नोट-1. जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके अगली तिथि को पूर्वीह्न 11.00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

2. जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसके अगले तिथि को पूर्वाह्व 11.00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक— 24.08.2018 तक निश्चित रूप से भूगतान कर लें।

3. उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना/विवरणी/जानकारी एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर प्रदर्शित है।

4. अभ्यथी ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली—भाँति अध्ययन कर लेंगे।

5. उपर्युक्त विज्ञापन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के दूरभाष संख्या — 0612—2215795 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

6. 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह, 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह एवं 63वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल सितम्बर माह के द्वितीय सप्ताह में सम्मावित है।

संयुक्त सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

## बिहार लोक सेवा आयोग, पटना 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारम्भिक) परीक्षा के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश:—

ऑनलाईन आवेदन कैसे करें :-

1. ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास कार्यरत E-mail ID तथा Mobile No. मौजूद है। आवेदक उक्त E-mail ID तथा Mobile No. को भविष्य में सुरक्षित रखेंगे। साथ ही आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगें। आवेदक सुनिश्चित हो लेंगे कि ऑनलाईन आवेदन भरते समय सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास उपलब्ध है।

ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रकिया तीन चरण (Step) में सम्पन्न होगी:-

### **Step 1-Registration**

1. आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाईन वेबसाईट <u>www.onlinebpsc.bihar.gov.in</u> पर जाकर "ONLINE **REGISTRATION**" के टैब पर क्लिक करते हुए, जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके सामने दिए गए Apply Online के बटन पर Click करेंगे। **Registration** पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएँ भरेंगे एवं "Submit" बटन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आवेदक को E-mail ID पर User Name एवं Pasword प्राप्त होगा।

नोट:—आवेदक रिजस्ट्रेशन पेज के Submit बटन पर Click करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा भरी गयी सभी विवरणी/सूचनाएँ सुस्पष्ट एवं सही है। क्योंकि एक बार Submit होने के उपरांत किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरान्त ही Submit बटन पर क्लिक करेंगें।

#### Step 2- Payment -

1. जिस तिथि को Registration किया गया है, उसके अगले तिथि (Next date) को पूर्वाहन 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने हेतु आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा। आवेदक Online Payment के बटन पर क्लिक करते हुए भृगतान करेंगे।

### Step 3-Filling of Online Application Form

- 1. जिस तिथि को भुगतान किया गया है, उसके अगले तिथि (Next date) को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने हेतु लिंक उपलब्ध होगा। आवेदक "Application Form" के बटन पर क्लिक करते हुए आवेदन भरेंगे।
- 2. आवेदन प्रपन्न में कतिपय (कुछ) बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जिसे आवेदक द्वारा Registration के समय भरा गया है। आवेदन प्रपन्न में शेष खाली बॉक्स आवेदक भरेंगे।
- 3. ऑनलाईन आवेदन के अंत में आवेदक हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर तथा फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। आवेदक सुनिश्चित हो लेंगे कि अपलोड किये जाने वाले हस्ताक्षर का साईज 15 KB तथा फोटोग्राफ का साईज 25 KB से अधिक नहीं हो। हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ (.jpg/.jpeg) Format में होना चाहिए। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अपलोड किया गया हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ का इमेज सुस्पष्ट एवं पठनीय है।
- 4. आवेदक Preview बटन पर विलंक कर उनके द्वारा भरी गयी विवरणी/सूचनाओं को देख सकते हैं एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो विवरणी/सूचनाएँ रिजस्ट्रेशन करने के समय भरी गयी है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- 5. आवेदन को "Submit" करने से पहले आवेदक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी विवरणी / सूचनाएँ जो आवेदक द्वारा दी गयी है, वह सही एवं सुस्पष्ट है तथा उनका फोटो एवं हस्ताक्षर सही तरीके से Upload हो चुका है, क्योंकि एक बार फार्म Submit करने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरान्त ही Submit बटन पर किनक करेंगें।
- 6. Form को "Submit" करने के बाद आवेदक पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब "Download filled Application" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड करेंगें। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाडनलोड किये गए हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

ऑनलाईन आवेदन से संबंधित अन्य मैंहत्वपूर्ण निर्देश:-

- 1. ऑनलाईन आवेदन में अंकित Email-Id, Mobile No तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- 2. किसी भी तरह की कठिनाई होने पर विज्ञापन देखा जा सकता है तथा दिए गए कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) तक 10:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे अपराह्न तक निम्नलिखित हेल्प लाइन नम्बर (दूरभाष संख्या) पर संपर्क किया जा सकता है।
  - TelePhone No 0612- 2215795, Mob No-9297739013
- 3. अभ्यर्थी "Online Payment" प्रक्रिया में किसी भी समस्या के समाधान हेतु स्टेट बैंक के समन्वयक से दूरभाष संख्या 0612-2215102 पर संपर्क कर सकते हैं।

### बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

## 64वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 23 / नियुक्ति—01—01 / 2017 सा。प्र。—3342, पटना—15, दिनांक 12.03.2018 द्वारा 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को संयुक्त परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने हेतु सरकार के विभिन्न विभागों से अलग—अलग सेवाओं / संवर्गों के लिए रिक्तियाँ प्राप्त हुई है, जिन्हें (आरक्षण कोटिवार) निम्नांकित सारणी 01 में दर्शायी गयी हैं:—

सारणी – 01

				सारण	1 — 01								
विभाग / पद का नाम वेतनमान / आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ कुल न्यूनतम						न्यूनतम	अधिकतम						
	ग्रेड-पे			अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछडा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	FF 2%	विकलांग	पंद	उम्र	उम्र	
		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	270					
पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	लेबल – 9	20	07		08	05		01	OH- 01 MD- 01	40	20 वर्ष	अनारक्षित	
काराधीक्षक, गृह विभाग(कारा)	लेबल – 9	01	01							02	22 वर्ष	(पुरूष) ू	
वाणिज्य कर पदाधिकारी, वाणिज्य—कर विभाग	लेबल – 9	03	01		04	01	01			10	22 वर्ष	<ul><li>37 वर्ष</li></ul>	
अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	लेबल – 9	01	03		01	03				08	22 वर्ष	अनारक्षित (महिला),	
अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग	लेबल – 9	04	01	01	01	01			DD- 01	08	22 वर्ष	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग	लेबल – 9	06	02	01	03	01				13	22 वर्ष	(पुरूष एवं महिला)	
जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग	लेबल — 9		01		02		01			04	22 वर्ष	— 40 वर्ष	
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग	लेबल — 9	08	05		08	03			OH- 01	24	22 वर्ष	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	
प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा	लेबल — 9	13	04		04	03	01		VI- 01	25	22 वर्ष	(पुरूष एवं महिला)	
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	लेबल – 9	03	01	01	01					06	22 वर्ष	— 42 वर्ष	
बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी), गृह विभाग (कारा)	9300-34800 G.P. PB-2 4800/- एवं चार वर्षों के बाद PB-3 5400/-	17	05	01	06	04	01	<del></del>	OH- 01	34	21 वर्ष		
ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	9300-34800	02								02	22 वर्ष		
सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग	9300-34800	09			04	01				14	22 वर्ष		
ग्रामीण विकास विभाग	लेबल – 7	13	01		03	04		01	DD- 01	21	21 वर्ष		
श्रम संसाधन विभाग		27	15		03	04	04	01	OH- 01 DD- 01	53	21 वर्ष		
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		314	91	01	110	32	23	11	VI- 06 OH- 05 DD- 06 MD-06	571	22 वर्ष		
उपभोक्ता संरक्षण विभाग	लेबल – 7	110	41		44	27	01	04	VI- 02 OH- 02 DD- 02 MD-02	223	21 वर्ष		
प्रखंड अनु。 जाति एवं अनु。 जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनु。 जाति एवं अनु。 जनजाति कल्याण विभाग	लेबल – 7	-60	19		28	10	05	02	VI- 01 OH- 02 DD- 01 MD- 01	122	21 वर्ष		
प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण	लेबल – 6	38	12	01	13	09	02	01	VI- 01 OH- 01 DD- 01	75	22 वर्ष		
	(आरक्षी शाखा) काराधीक्षक, गृह विभाग(कारा) वाणिज्य कर पदाधिकारी, वाणिज्य—कर विभाग अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक , मद्य निषेध, उत्पाद एव निबंधन विभाग अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग नियोजन पदाधिकारी / जिला नियोजन पदाधिकारी, अम संसाधन विभाग जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, प्राना उद्योग विभाग सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग प्रामीण विकास विभाग राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, राजस्व प्रवं भूमि सुधार विभाग राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रखंड अनु, जाति एवं अनु, जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनु, जाति एवं अनु, जनजाति कल्याण विभाग प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण	पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) काराधीक्षक, गृह विभाग(कारा) लेबल — 9 वाणिज्य कर पदाधिकारी, वाणिज्य—कर विभाग अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग अवर निवाचन पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, अम संसाधन विभाग जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग प्रशाखा पदाधिकारी, सहकारिता विभाग प्रशाखा पदाधिकारी, लेबल — 9 बिहार विधान सभा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अत्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अत्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा) इंख पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा) इंख पदाधिकारी, गृह विभाग कल्याण विभाग सहायक निवंशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग सहायक निवंशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग सहायक निवंशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग प्रामीण विकास पदाधिकारी, जन संसाधन विभाग प्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, समकक्ष, त्रामण विकास पदाधिकारी, अन संसाधन विभाग राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, त्राजस्व एवं भूम सुधार विभाग राजस्व उत्तर, जानजाति कल्याण पदाधिकारी, अन, जाति एवं अन, जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अल्यसंख्यक कल्याण लेबल — 6	पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) काराधीक्षक, गृह विभाग (कारल) वाणिज्य कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक / मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक । सद्य निवंधन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग अवर निवंधन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग अवर निवंधन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग अवर निवंधक पदाधिकारी, लिबल – 9 04 निवंधन विभाग जिला अकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग सहायक निवंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग प्रशाखा पदाधिकारी, लेबल – 9 03 विहार विधान सभा जिला अक्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विभाग (कारा) विभाग (कारा) विभाग (कारा) विज्ञान पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा) विभाग विभाग प्रमाय विकास पदाधिकारी, प्रामीण विकास पदाधिकारी, प्रमाना कल्याण विभाग प्रमाय विकास पदाधिकारी, प्रमामाज कल्याण विभाग प्रमाय विकास पदाधिकारी, प्रम संसाधन विभाग अम प्रवत्न पदाधिकारी, अन जाति एवं अनु जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनु जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग प्रखंड अनु जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग प्रखंड अनु जाति एवं अनु जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनु जाति एवं अनु जनजाति कल्यान विभाग	पुलिस उपाधीक्षक, गृह विमाग (लेबल – 9 20 07 (आरक्षी शाखा) लेबल – 9 01 01 वाणिज्य कर पदाधिकारी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, विमाग अवर निर्वचक निर्वचक निर्वचक पदाधिकारी, विमाग अवर निर्वचक सुर्वचक अवर विमाग विमाग विमाग पदाधिकारी, अन्य संसाधन विमाग विमाग सहायक निर्वचक, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विमाग सहायक निर्वचक सहयोग समितियाँ, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, विमाग प्राचिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, विमाग वि	विसाग / पद का नाम   वेतनगान / ग्रेड-पे   अनारशिता जातीत जनजाति (01) जातीत जनजाति (02) विशेष स्वार्थ साखा) जिर्माण स्वार्थ साखा) जिर्माण स्वार्थ साखा। जिर्माण सामाण जिर्माण सामाण करवाण प्रवाधिकारी, साखा। जिर्माण सामाण जिर्माण सामाण करवाण प्रवाधिकारी, सहयोग सामित सामाण साधिकारी, सहयोग सामित सामाण सामाण करवाण प्रवाधिकारी, सहयोग सामित सामाण साम	पुलिस उपाधीक्षक, गृह विमाग (अल्लाक्ष विमाग (अल्लाक्ष विभाग प्राधिक विभाग (क्षाच्छ विभाग (क्षाच विभाग (क्षाच विभाग (क्षाच विभाग (क्षाच विभाग (क्षाच विभाग (क्षच विभाग (क्षाच विभाग (क्षाच विभाग (क्षाच विभाग (क्षाच विभाग (क्षच विभाग (क्षाच विभा	विमाग/पद का नाम   वेतनमान / ग्रंड-पे   अत्यस्ताव अनुस्वित अत्यस्त विश्व विकास विश्व विश्व विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास वि	विसाग / पद का नाम   प्रेड-पे   अंतरमान / प्रेड-पे   अतारक्षित अतुर्वृत्ति   अतारत करिया   स्विक्त वर्ग वर्ग वर्ग करिया   स्विक्त वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग	स्विमाग / पद का नाम   प्रेड-पे   प्रेड-पे   अत्यक्षित अनुसूचित   अनुसूचचित   अनुसूचचित   अनुसूचचित   अनुसूचचित   अनुसूचचित   अनुसूचचच   अनुसूचच   अनुसूचच	विभाग/पद का नाम         वैत्तमाग/ प्रेड-पे         कारायित अपुर्वित अपुर्व अपुर्वित अपुर्व अपुर्व अपुर्वित अपुर्वित अपुर्व अप	स्विमान/पद का नाम   वेंड-पो   वेंड-पो   वेंड-पो   वेंड-पो   वेंड-पो   वेंड-पो   वेंड-पो   वेंड-पो   विकास   विकास   वेंड-पो   विकास   वेंड-पो   विकास   वेंड-पो   विकास   वेंड-पो   विकास   वेंड-पो   विकास   वेंड-पो   वेंड-पो   विकास   वेंड-पो   वेंड-प    वेंs-प    वेंs-प	स्विकास मास्य   श्री के - पे   श्री के - प्री के - पे   श्री के - प्री के - पे   श्री के - प्री के	

टिप्पणीः 1. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक — 2342, दिनांक 15.02.2016, पत्रांक — 2526, दिनांक 18.02.2016 एवं पत्रांक — 11364, दिनांक 04.09.2017 के आलोक में क्रमशः महिलाओं एवं बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नितनी/पोता/पोती के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमानुकूल देय है, साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक — 13062, दिनांक 12.10.2017 के अनुसार दिव्यांगों के लिए आरक्षण देय होगा।

उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध

ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष शैक्षिक 3 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के योग्यताः--

विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।

आरक्षण की स्विधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो आरक्षण:-बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनमान्य होगा।

आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोड का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में

करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-

(a) जाति प्रमाण पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछडी जाति के उम्मीदवारों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-

(a) जाति प्रमाण पत्र.

(b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत

पिछडा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन करते समय विकलांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले विकलांग उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय आयोग द्वारा उसकी मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सके।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144, दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के

बीच आरक्षण कोटि में सुधार / बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vi) भृतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नितनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण - सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 2526, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती / नितनी / पोता / पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नितनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार समी प्रमाण पत्रों को प्रस्तृत करने की अंतिम तिथि उनके अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) की तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात

प्रस्तत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

उम्र सीमा:- दिनांक 01.08.2018 को न्यूनतम उम्र सेवावार, 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)— 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)— 42 वर्ष। सारणी — 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16 एवं 19 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष एवं क्रम संख्या 11, 14, 15, 17 एवं 18 की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 1 के लिए 20 वर्ष होना आवश्यक है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए

अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवाँ पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित, प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 (तीन) अवसर अनुमान्य है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को यथा संशोधित

अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त विकलांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। (iv) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन सी सी केए गए पूर्णकालिक कैडेट / अनुदेशकों को एन सी से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से

उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन सी से पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना

जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तों पूरी करते हैं।

(v) कार्मिक एवम प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(vi) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई॰सीओज / एस॰एफ॰सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज / एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई॰सीओज / एस॰एफ॰सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आय सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज / एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतू अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।

(viii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयू सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

(ix) उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही-सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

बिहार पुलिंस सेवा के लिए पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 ईंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना 6. शारीरिक फुलाये, 32 (बत्तीस) ईंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में क्षमता : उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 ईंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) ईंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 ईंच होनी चाहिए।

7. मेधा सूची : उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों को भरने के निमित्त, संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात अन्तिम परीक्षाफल सेवा / संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत / प्रकाशित किया जायेगा। संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात अन्तर्वीक्षा हेतू आमंत्रित अभ्यर्थियों को अन्तर्वीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अन्तिम परीक्षाफल हेत् बनायी जानेवाली मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, 40% या उससे अधिक दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों एवं राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए 150/— (एक सौ पचास) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 600 / – (छः सौ) रूपये का शूल्क निर्धारित किया गया।

भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा. जिसे ऑनलाइन भूगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अम्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यागता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

- (i) संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
- (ii) इस प्रारम्भिक परीक्षु- में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।
- (iii) इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनूसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

शुल्कः

9. प्रारम्भिक परीक्षा :

प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा एवं इस संबंध में सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। (ii)

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अविध में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा।

(iii) मख्य परीक्षा हेत ऐक्किक विषय एवं कोड निम्नवन

	हतु एच्छिक विषय एवं कोड निम्नवत	है –	
क्रम संख्या	विषय	Subject	विषय कोड
1.	कृषि विज्ञान	Agriculture	04
2.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	Animal Husbandry & Veterinary Science	05
3.	मानव विज्ञान	Anthropology	06
4.	वनस्पति विज्ञान	Botany	07
5.	रसायन विज्ञान	Chemistry	08
6.	सिविल इंजीनियरिंग	Civil Engineering	09
7.	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	Commerce & Accountancy	10
8.	अर्थशास्त्र	Economics	11
9	विद्युत इंजीनियरिंग	Electrical Engineering	12
10.	भूगोल	Geography	13
11.	भू–विज्ञान	Geology	14
12.	इतिहास	History	15
13.	श्रम एवं समाज कल्याण	Labour and Social Welfare	16
14.	विधि *	Law	17
15.	प्रबन्ध	Management	18
16.	गणित	Mathematics	19
17.	यांत्रिक इंजीनियरिंग -	Mechanical Engineering	20
18.	दर्शन शास्त्र	Philosophy	21
19.	भौतिकी	Physics	22
20.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	Political Science And International Relations	23
21.	मनोविज्ञान	Psychology	24
22.	लोक प्रशासन	Public Administration	25
23.	समाज शास्त्र	Sociology	26
24.	सांख्यिकी	Statistics	27
25.	प्राणी विज्ञान	Zoology	
26.	हिन्दी भाषा और साहित्य	Hindi Language & Literature	28
27.	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	English Language & Literature	29
28.	उर्दू भाषा और साहित्य	Urdu Language & Literature	30
29.	बंगला भाषा और साहित्य	Bangla Language & Literature	31
30.	संस्कृत भाषा और साहित्य	Sanskrit Language & Literature	32
31.	फारसी भाषा और साहित्य	Persian Language & Literature	33
32.	अरबी भाषा और साहित्य	Arabic Language & Literature	34
33.	पाली भाषा और साहित्य	Pali Language & Literature	35
34.	मैथिली भाषा और साहित्य	Maithili Language & Literature	36
		Trigitim ranguage & Literature	37

उम्मीदवार को उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय को मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा।

11. वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

12. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्जे करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबावदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

13. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:--(i)

1 000	
<ol> <li>रिजेस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि</li> </ol>	03.08.2018 से 20.08.2018 तक
2. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	24.08.2018 तक
3. ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	
ा रसार् । आयर । ।र । यम जारान ।साज	31.08.2018 तक

नोट—1: जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके अगली तिथि को पूर्वाह्व 11.00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

नोट—2: जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसके अगले तिथि को पूर्वीह 11.00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अतः अभ्यर्थी दिनांक- 24.08.2018 तक निश्चित रूप से मुगतान कर ले।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक** (विस्तत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार / परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी

प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रदद कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार, चालान में अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

- (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक स्रक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित नहीं करेंगे।
- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं बैंक में चालान जमा करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) उम्मीदवार हाल का ख़िंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन मुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत मुगतान/असफल मुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अम्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

14. महत्वपूर्ण निर्देश :--

अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगें जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

- (iv) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं। (v) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- (vi) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निदेश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(vii) आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन / सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकृल परिणाम हेत् आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

15. इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना